

राँची समाहरणालय राँची
(विकास शाखा)

मुख्यमंत्री विकास योजना (जल समृद्धि)

माननीय विधायक श्री गोपाल कृष्ण पातर, सांसद/विधायक द्वारा अनुशंसित निम्न योजनाओं के प्राक्कलन पर जिला अभियन्ता जिला परिषद् राँची द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है। माननीय सांसद/विधायक की अनुशंसा एवं योजना के प्राक्कलन प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के आलाोक में इस योजना के लिए उपायुक्त/उप विकास आयुक्त, राँची द्वारा निम्नांकित शर्तों के स प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो, निर्माण से पूर्व संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली जाय।
2. योजना के लिए यदि रैयत भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए भूमि का वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में हो चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का कार्यन्वयन जिला अभियन्ता, जिला परिषद् राँची के पर्यवेक्षण में करायेंगे। निर्माण कार्य में कार्य एवं समाप्ति की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए प्राक्कलन के अनुरूप 03 (तीन) माह के अन्दर पूर्ण किया जाय।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/भारगदर्शन जिला अभियन्ता, जिला परिषद् राँची समुचित दिशा निर्देश उपलब्ध करायेंगे।
6. स्वीकृत योजना यदि किसी अन्य मद से स्वीकृति ली गई हो तो इस योजना को अविलम्ब स्थगित करते हुए अधोस्ताक्षर को सूचित करेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्र० सं०	योजना का नाम	प्राक्क० राशि (लाख में)	प्रशा०स्वी० राशि (लाख में)	अनुशंसित राशि	विमुक्त की जाने वाली राशि
1	चडवाडीह पारस पुल के पास पुल सह गार्डवाल निर्माण	11.136	11.136	11.136	11.136

कुल - 11.136 लाख ले रहे है। जो 2 भाग।

कुल: 11.136

उप विकास आयुक्त,
राँची।

जापांक..... 188 (11) दि० दिनांक..... 5.3.10

प्रतिलिपि:- माननीय श्री गोपाल कृष्ण पातर, (राज्य सभा) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला अभियन्ता, जिला परिषद् राँची को सूचनार्थ प्रेषित/निर्देश है कि विकास शाखा के प्राप्ति प्राप्त करने हेतु कार्यालय नाजीर को प्राधिकृत की जाय।
नाजीर, विकास शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त,
राँची।

राँची समाहरणालय राँची
(विकास शाखा)

मुख्यमंत्री विकास योजना विशेष अंगीभूत(सामान्य मद)


माननीय विधायक श्री गोपाल कृष्ण पातर, सांसद/विधायक द्वारा अनुशंसित निम्न योजनाओं के प्राक्कलन पर जिला अभियन्ता जिला परिषद् राँची द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है। माननीय सांसद/विधायक की अनुशंसा एवं योजना के प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उपायुक्त/उप विकास आयुक्त, राँची द्वारा निर्मांकित शर्तों के साथ प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो, निर्माण से पूर्व संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली जाय।
2. योजना के लिए यदि रीयत भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए भूमि का वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में होना चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का कार्यन्वयन जिला अभियन्ता, जिला परिषद् राँची के पर्यवेक्षण में करायेगा। निर्माण कार्य में कार्य एवं समायोजन का गुणवत्ता का ध्यान में रखते हुए प्राक्कलन के अनुरूप 03 (तीन) माह के अन्दर पूर्ण किया जाय।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन जिला अभियन्ता, जिला परिषद् राँची समुचित दिशा निर्देश उपलब्ध करायेगा।
6. स्वीकृत योजना यदि किसी अन्य मद से स्वीकृति ली गई हो तो इस योजना को अविलम्ब स्थगित करते हुए अधोस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्र० सं०	योजना का नाम	प्राक्क० राशि (लाख में)	प्रशा०स्वी० राशि (लाख में)	अनुशंसित राशि	विमुक्त की जाने वाली राशि	अभ्युक्ति
1	ग्राम बारुडोह में रघुनाथ सिंह मुण्डा के घर से प्र० विद्यालय तक वोल्डर सोलिंग के साथ पी०सी०सी० पथ निर्माण	2.968	2.968	2.968	2.968	सामान्य मद
2	ग्राम राजा डेरा में मुखपातर के जमीन में पेयजल-सह-सिंचाई कुप निर्माण	2.023	2.023	2.023	2.023	जल समृद्धि

कुल :- चार लाख निम्नानुद्धे हजार एक सौ रु. मात्र


कुल :- 4.991


 उप विकास आयुक्त,
 राँची।

ज्ञापक..... 189 (11) दिनांक 5-3-10

प्रतिलिपि:- माननीय श्री गोपाल कृष्ण पातर, (राज्य सभा) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला अभियन्ता, जिला परिषद् राँची को सूचनार्थ प्रेषित/निर्देश है कि विकास शाखा के प्राप्ति करने हेतु कार्यालय नाजीर को प्राधिकृत की जाय।
नाजीर, विकास शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 उप विकास आयुक्त,
 राँची।

रांची समाहरणालय, रांची

(विकास शाखा)

कार्यालय आदेश

विधायक योजना (जल समृद्धि)

माननीय श्री गोपाल कृष्ण पातर, विधायक/पार्षद द्वारा अनुशंसित निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-II, रांची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय सांसद/विधायक/पार्षद की अनुशंसा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त/उपायुक्त, रांची द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

8. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
9. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो योजना के लिए बैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
10. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
11. योजना का निर्माण कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-II रांची की देख रेख में कराना है एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण कराना है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप होनी चाहिए।
12. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियंता कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-II, रांची का सहयोग एवं अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करावेंगे।
13. स्वीकृत राशि प्र0वि0पदा0/अ0पदा0/ कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-II रांची / उप विकास आयुक्त, रांची / रांची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
14. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्रम सं०	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	पूर्व में विमुक्त की गई राशि	वर्तमान में विमुक्त राशि
1.	ग्राम तमाड़ में सुनील सोनी के जमीन में तालाब निर्माण	1.43	1.43	1.43
2.	एन0 एच0 33 डोडेया (तमाड़) से सुन्दरडीह पथ में पुल सह गार्डबाल निर्माण	15.85	15.85	15.85

कुल:-

प्रशासनिक स्वीकृत राशि:-17.28 (कुल सत्तरह लाख अठाईस हजार रुपये मात्र)

विमुक्त राशि:-17.28 (कुल सत्तरह लाख अठाईस हजार रुपये मात्र)

नोट:- 1- योजनाओं का कार्य तीन माह में पूर्ण कराकर

पूर्णता-सह-उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

ज्ञापांक: 190(1) / रांची दिनांक: 5-3-10

प्रतिलिपि:- माननीय श्री गोपाल कृष्ण पातर, विधायक / कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-II रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-नाजीर, विकास शाखा, रांची को चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।

5/3/10
उप विकास आयुक्त, रांची।

5/3/10
उप विकास आयुक्त, रांची।

रांची समाहरणालय, रांची

(विकास शाखा)

कार्यालय आदेश

विधायक योजना (विशेष अंगीभूत)

माननीय श्री गोपाल कृष्ण पातर, विधायक/पार्षद द्वारा अनुशसित निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-II, रांची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय सांसद/विधायक/पार्षद की अनुशंसा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त/उपायुक्त, रांची द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

15. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
16. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
17. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
18. योजना का निर्माण कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी/अधलाधिकारी कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-II रांची की देख रेख में कराना है एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण कराना है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्रायकलन के अनुरूप होनी चाहिए।
19. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियंता कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-II, रांची का सहयोग एवं अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करावेंगे।
20. स्वीकृत राशि प्र0वि0पदा0/अं0पदा0/ कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-II रांची / उप विकास आयुक्त, रांची / रांची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
21. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

सामान्य मद

क्रम सं०	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	पूर्व में विमुक्त की गई राशि	वर्तमान में विमुक्त राशि
1.	ग्राम जामडीह में दुर्गा मंदिर से कुजल लोहरा के घर तक बोल्टर सोलिंग के साथ पी0सी0सी0 पथ निर्माण	13.278	13.278	13.278
2.	ग्राम नूरीडीह में रघुवशगिरी के घर से लोहरा टोली तक बोल्टर सोलिंग के उपर पी0सी0सी0 पथ निर्माण	3.777	3.777	3.777

कुल:-

17.055*

जल समृद्धि मद

1.	बबई कुण्डी ग्राम के तालाब में सीढ़ीनुमा महिला पुरुष घाट एवं ड्रेसिंग छत रहित छोटे कमरे का निर्माण	4.37	4.37	4.37
----	---	------	------	------

कुल:-

4.37

प्रशासनिक स्वीकृत राशि:-21.405(कुल एक्काईस लाख चालीस हजार पांच सौ रुपये मात्र)

विमुक्त राशि:-21.405(कुल एक्काईस लाख चालीस हजार पांच सौ रुपये मात्र)

नोट:- 1- योजनाओं का कार्य तीन माह में पूर्ण कराकर पूर्णता-सह-उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

आपांक: 192(10) / रांची दिनांक 5-3-10

प्रतिलिपि- माननीय श्री गोपाल कृष्ण पातर, विधायक / कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-II रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-नाजीर, विकास शाखा, रांची को चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।

5/3/10
उप विकास आयुक्त, रांची।

5/3/10
उप विकास आयुक्त, रांची।

